DR. UTTAM KUMAR
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Commerce
S.R.A.P COLLEGE, BARACHAKIA

ONLINE STUDY MATERIAL

Session-2024-28
Semester -3
Paper -MJC3
BUSINESS LAW

अनुबंध (Contract) क्या है?

परिभाषा:
अनुबंध वह वैधानिक समझौता है जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच होता है, जिसमें वे एक-दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य और अधिकार स्थापित करते हैं। इसे हिंदी में "समझौता" या "संधि" भी कहा जाता है।

अनुबंध की विशेषताएँ

1. **समझौता (Agreement):** अनुबंध एक समझौते पर आधारित होता है, जिसमें पक्षों की सहमति होती है।
2. **वैधता (Legality):** अनुबंध का उद्देश्य और विषय वस्तु वैध होना चाहिए।
3. **कर्तव्य और अधिकार:** अनुबंध से पक्षों के बीच कर्तव्य और अधिकार उत्पन्न होते हैं।
4. **पक्षों की क्षमता:** अनुबंध करने वाले पक्ष कानूनी रूप से सक्षम होने चाहिए।
5. **मूल्य (Consideration):** अनुबंध में कुछ मूल्य या लाभ का आदान-प्रदान होना चाहिए।
6. **मुक्त सहमति:** अनुबंध में पक्षों की सहमति दबाव, धोखा या गलतफहमी से मुक्त होनी चाहिए।

वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण

1. **प्रस्ताव (Offer):** एक पक्ष द्वारा किसी कार्य को करने या न करने का प्रस्ताव।
2. **स्वीकृति (Acceptance):** दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्ताव को बिना शर्त स्वीकार करना।
3. **कानूनी उद्देश्य (Lawful Object):** अनुबंध का उद्देश्य कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
4. **पक्षों की क्षमता (Capacity of Parties):** पक्ष वयस्क, मानसिक रूप से सक्षम और कानूनी रूप से अनुबंध करने योग्य होने चाहिए।
5. **मूल्य (Consideration):** अनुबंध में कुछ मूल्य या लाभ का आदान-प्रदान होना आवश्यक है।
6. **मुक्त सहमति (Free Consent):** सहमति किसी भी प्रकार के दबाव, धोखे, गलतफहमी या प्रभाव के बिना होनी चाहिए।
7. **संविधानिक रूप (Legal Formalities):** यदि कानून द्वारा अनुबंध के लिए किसी विशेष रूप या प्रक्रिया का पालन आवश्यक हो तो उसका पालन होना चाहिए।